



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 721]  
No. 721]नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2009/वैशाख 18, 1931  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2009/VAISAKHA 18, 1931

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2009

**का.आ. 1179(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68), जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1291 (अ), तारीख 11 नवम्बर, 2003, द्वारा उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क के 0.00 कि.मी. से 77.00 कि.मी., (चांदीखोल - पारादीप सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क पर 0.000 कि.मी. से 76.588 कि.मी. (चांदीखोल - पारादीप सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) के विकास और अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए मैसर्स पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जी 5 और 6, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतवलिप्त व्यय, विनिधान पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात परिमाण और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क के 0.000 कि.मी.

से 76.588 कि.मी. (चांदीखोल - पारादीप सेक्शन) के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर फीस इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही इनमें से जो भी पश्चात् हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ; है ।

### अनुसूची

रियायतग्राही उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क के 0.000 कि.मी. से 76.588 कि.मी. (चांदीखोल - पारादीप सेक्शन) के खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों पर फीस उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट फीस की आधार दर पर संग्रहीत और प्रतिधारित करेगा ।

### सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	प्रति यान आधार फीस प्रति फेरा की दर (रूपए प्रति कि.मी.)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक/बस	1.40
4.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय ) जिसमें अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिमार्ण मशीनरी यान सम्मिलित है ।	2.25

टिप्पण:- 1. फीस 4.00 कि.मी. पर स्थित फीस प्लाजा पर संग्रहीत की जाएगी ।

2. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :-

(i) "वास्तविक फीस" से इस अधिसूचना में दिए गए फार्मूला के आधार पर पथ कर बूथों पार करने पर उक्त खंड या इसके किसी भाग के सड़क उपयोक्ताओं से प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई, और

(ख) इस अधिसूचना की सारणी में दी गई आधार फीस, और जो एक रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन स्वतन्त्र सलाहकार द्वारा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर, यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(iii) "नियत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको रियायत अवधि आरंभ होती है।

(iv) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(v) "स्थानीय यातायात प्रवर्ग I" के अंतर्गत निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले उपयोक्ता अभिप्रेत है,—

- (1) ऐसे ग्रामों या कस्बों या शहर के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) से 10 कि.मी. के घेरे के भीतर आते हैं।
- (2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाइयाँ।
- (3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी, जिनके कार्यालय फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित हैं; और
- (4) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के दस कि.मी. के घेरे के भीतर अवस्थित है।

(vi) "स्थानीय यातायात प्रकार II" में निम्न लिखित प्रवर्ग में से किसी के अंतर्गत आने वाले स्थानीय उपयोक्ता अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है,—

- (1) ग्रामों या कस्बों या शहर के निवासी जिसकी सीमा फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर आती है।
- (2) फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित स्थापन या औद्योगिक इकाईयाँ।
- (3) ऐसे स्थापनों या औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी जो फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु फीस संग्रहण बूथों (टोल प्लाजा) से 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है या जिनका कार्यालय स्थित है।
- (4) स्वनियोजित व्यक्ति या कारोबारी जिनका कार्य स्थल फीस संग्रहण बूथों (पथकर प्लाजा) के 10 कि.मी. से अधिक किन्तु 20 कि.मी. तक के घेरे के भीतर अवस्थित है।

(vii) शब्द और पदों को जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त करार, में क्रमशः उनके हैं।

3. फीस और उसके पुनरीक्षण जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होता है की दर की संगणना निम्ननुसार की जाएगी :-

आधार फीस X थो.की.सू - ख X उक्त खंड की लम्बाई  
थो.की.सू - क

जहां

थो.की.सू - क = जून 1997 (131.4) को यथा विद्यमान थोक कीमत सूचकांक है ।

थो.की.सू - ख = फीस पुनरीक्षण तारीख के पूर्ववर्ती 1 जनवरी या उसमें तुरन्त बाद समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए औसत थोक कीमत सूचकांक है।

थो.की.सू. से आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी किया गया थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है ।

4. जब एक ही यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में पथकर प्लाजा को पार करते समय सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का 1.5 गुना संदाय कर दे । यदि उसी यांत्रिक यान को उक्त खंड का पूरे मास में निरंतर और बार-बार या इसके परे भी प्रयोग करना हो तो यान का स्वामी पूर्वोक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट उसको लागू तीस एकल दरों के समतुल्य प्रभारों को संदाय करके मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

**स्पष्टीकरण:-** "दिन" पद से चौबीस घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है ।

5. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संग्रहीत नहीं की जाएगी, अर्थात:-

(i) ऐसे यान -

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति " प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :-

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठें हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य की किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र प्रस्तुत करता है;

(आ) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी है जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथा विस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं ।

(iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।

6. रियायतग्राही निम्नलिखित दरो से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:

(क) कार/जीप/वैन के लिए

(i) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 1 : 150.00 रुपये का मासिक पास

(ii) स्थानीय यातायात प्रवर्ग 2 : 300.00 रुपये का मासिक पास

(ख) बसों के लिए : राज्य परिवहन बसों की दशा में मासिक पास ऐसे सक्षम प्राधिकारी के (जो महाप्रबंधक राज्य सरकार सड़क परिवहन की पंक्ति से नीचे का न हो) उस मार्ग पर प्रतिदिन चलने वाली बसों की संख्या प्रमाणित किए जाने पर यान के लिये निर्धारित एकल फेरे की फीस का तीस गुना संदाय करने पर मासिक पास जारी किये जायेंगे और निजी स्थानीय प्रचालकों की दशा में जिला परिवहन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मार्ग प्रचालन के लिए उनके परमिट और मार्ग प्रचालन की समय सारणी प्रस्तुत किये जाने पर यान के लिये निर्धारित एकल फेरे की फीस का तीस गुना संदाय करने पर मासिक पास जारी किये जायेंगे ।

(ग) मासिक पास स्कूल छात्रों को ले जाने वाली स्कूल बसों के लिए पथकर प्लाजा पार करने के लिये स्कूल के प्रधानाचार्य के लिखित अनुरोध के साथ स्कूल की मान्यता तथा बस का रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों की प्राप्ति पर एक हजार रुपये की मासिक दर से मासिक पास जारी किये जायें ।

(घ) हल्के वाणिज्यिक यान/ट्रक (स्थानीय परिवहन प्रचालक) : स्थानीय परिवहन प्रचालकों से 20 कि.मी. के भीतर उन्हें चलाने का सबूत अर्थात् स्पष्ट रूप से वाहन की वापसी के ब्योरे विनिर्दिष्ट करते हुए प्रारम्भिक और अन्तिम स्थान के लिए माल का चालान प्रस्तुत करने पर रियायती फीस ली जाएगी । ऐसे परिवहन के लिए, प्रत्येक प्रवेश पर ट्रकों के लिये पच्चीस रुपये और हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिये पन्द्रह रुपये की फीस होगी :

7. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाता है तो रियायतग्राही ऐसी सेवा लेन (लेनों) के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नहीं करेगा ।
8. किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उदगृहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अंतर्गत नहीं आते है ।
9. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा ) प्रकाशित करेगा, और सार को पुनरीक्षित फीस को प्रभाव देने से दस दिन पहले पुनः प्रकाशित करेगा ।

10. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है और उससे संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी होगा ।
11. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और उस रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी पथकर बूथों से पांचसौ मीटर आगे, पथकर बूथों से सौ मीटर आगे और पथकर बूथों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार ऐसा होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके ।
12. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने पर यथासम्भव शीघ्र किन्तु कम से कम 45 दिन पहले, विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर कोई टीका टिप्पणियां कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी ।

[फा. सं. एनएचआई/13013/422/सी.ओ./08-09/जीसी-पारादीप पोर्ट कन्नेक्टिविटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2009

**S.O. 1179(E).**— Whereas, the Central Government vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport ( Roads Wing ) number S.O. 1291 (E), dated 11<sup>th</sup> November, 2003, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as said Act, entrusted the stretch from Km 0.00 to Km 77.00 (Chandikole – Paradip Section) of national highway No. 5A in the State of Orissa to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Paradip Port Road Company Limited, having its registered office at G 5 & 6, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110075 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for development, Operation and Maintenance of the section from Km 0.000 to km. 76.588 of National Highway Number 5 A (Chandikole – Paradip Section) (hereinafter referred to as the said stretch);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch of the said National Highways, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the stretch from Km 0.000 to Km 76.588 (Chandikole - Paradip section) of National Highway number 5 A in the state of Orissa at the rate specified in the Schedule annexed hereto and authorises the said Concessionaire to collect and retain the said fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:-

### **The Schedule**

The Concessionaire shall collect and retain the fee on mechanical vehicles specified in column (2) of the Table below, for the use of the stretch from Km 0.000 to Km 76.588 of National Highway Number - 5 A (Chandikole - Paradip Section) in the State of Orissa at the base rate of fee specified in column (3) of the said Table.

**Table**

S. No.	Category of Vehicle	Rate of base fees per vehicle per one way trip per Km (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1	Car, passenger van or jeep	0.40
2	Light Commercial Vehicles (LCV)	0.70
3	Truck/Bus	1.40
4	Multi Axle Vehicle (>2 axle) including Earth Moving Equipment and Heavy Construction Machinery.	2.25

Notes:-

1. The fee shall be collected at fee plaza located at Km 4.00

2. For the purposes of this notification,-

- (i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said stretch or any part thereof on crossing the fee plaza derived as per the formula given in this notification on the basis of,  
(a) length of the project highway and;  
(b) base fee given in the Table to this notification,  
and shall be rounded off to nearest one rupees.
- (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certificate, as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;
- (iii) "appointed date" means the date on which the concession period commences;
- (iv) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
- (v) "Local Traffic" category I" shall include users falling into any of the following categories,-  
(1) residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of ten km of the fee collection booths (toll plaza).  
(2) establishments or Industrial units located within a radius of ten km of the fee collection booths (toll plaza).  
(3) employees of Establishments or Industrial units located or which have their office, within a radius of ten km of the fee collection booths (toll plaza); and  
(4) self employed persons or businessmen having a place of work within a radius of ten km of the fee collection booths (toll plaza).
- (vi) "Local Traffic category II" means and includes local users falling into any of the following categories,-  
(1) residents of villages or towns or cities whose boundary falls within a radius of more than ten km but upto twenty km of the fee collection booths (toll plaza).  
(2) establishments/Industrial units located within a radius of more than ten km but upto twenty km of the fee collection booths (toll plaza).



- (3) employees of Establishments or Industrial units located or which have their office, within a radius of more than ten km but upto twenty km of the fee collection booths (toll plaza) and
- (4) self employed persons or business having a place of work within a radius of more than ten km but upto twenty km of the fee collection booth (toll plaza).
- (vii) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said stretch, shall have the same meaning as are assigned to them respectively in the said agreement.
3. The rate of actual fees and the revision thereof effective from 1<sup>st</sup> April every year shall be calculated as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}} \times \text{length of the said section.}$$

Where

WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997(131.4).

WPI-B = is the wholesale price Index on the week ending on or subsequent to 1<sup>st</sup> January immediately preceding the Commercial Operation or fee revision date.

WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

4. When the same vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as given in the Table above while crossing the toll plaza in the first trip itself. If the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for entire month or even beyond that, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty (30) times rate applicable for single trip as applicable to it as specified in the aforesaid Table.

**Explanation :-** "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

1725/6/109-2

1015

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-
- (i) Vehicles-
- (A) having VIP symbols or officially belonging to:
- (a) the President of India;
  - (b) the Vice-President of India;
  - (c) the Governor of a State and Lt. Governor of a Union territory;
  - (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
  - (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
  - (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or
  - (g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- (B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;
- (ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made there under (as extended to Navy);
- (iii) Police vehicles, fire fighting vehicles, ambulances, funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.
6. Concessionaire shall not collect fees in excess of the following rate namely:-

(a) Car/Jeep/Van:

- |                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| i) Local Traffic Category I:   | Monthly pass of Rs 150.00 |
| ii) Local Traffic Category II: | Monthly pass of Rs 300.00 |

(b) Buses: (i) Monthly passes shall be issued on payment of thirty times of single journey rates applicable for the said section for respective category of vehicle, in case of State Transport buses, on the certification of the competent authority (not less than General Manager, State Government Road Transport) certifying the number of buses plying in the route per day and in case of private local operators, on production of their route permit and timetable of the route operation duly certified by the District Transport Authority”.

(ii) Monthly passes for school buses carrying school students, crossing the toll plaza may be given at the rate of rupees one thousand per month after obtaining written request of the school principal along with the recognition of the school and the registration of the bus.

(c) Light commercial vehicle/Trucks (Local Transport Operators): Concessional Fee shall be charged from the Local Transport Operators on production of proof for plying within Twenty km i.e. goods challan for origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle. The fee for such transport shall be rupees twenty five for trucks for each entry and rupees fifteen for Light commercial vehicle for each entry.

7. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane (s).
8. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the aforesaid Table.
9. The concessionaire shall publish substance of this notification including the date of commercial operation in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language) at least ten days prior to the date of commercial operation and also ten days prior to giving effect to revised fee.
10. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection who shall be responsible to ensure that fee are collected at not more than the agreed rates and the fee collected is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.
11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed five hundred meters ahead of the toll

booths, one hundred meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

12. The actual fee to be charged from users and the revision thereof shall be computed by the concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/422/CO/08-09/GC-Paradip Port Connectivity]

PRABHAKAR, Dy. Secy.